न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 155/2022

1. अब्दुल गफार पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल हाल चक 9 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. अमीनखां पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल हाल चक 9 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अल्लाबक्श पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल हाल चक 9 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. जुसफखां पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल हाल चक 9 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. यूनस अली पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल हाल चक 9 केजेडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.06.23

यह वादपत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता अतूखां पुत्र नबीब बक्श के नाम से तहसील खाजूवाला का चक 1 बीआरडब्ल्युएम का मु0नं0 121/22 का किला नं0 1 ता 20 सालम कमाण्ड प्रत्येक में 0.2529 है0, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2023 है0 कमाण्ड इसप्रकार कुल 25 किला में 6.0695 है0 कमाण्ड कृषि भूमि स्वामित्व में थी। अतूखां की मृत्यु होने के बाद में उपरोक्त कृषि भूमि उसके जायज वारिसों के नाम से दर्ज हो गई। वादी एवं प्रतिवादीगण की माता की मृत्यु हो गई और बहनो ने अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग दिया इसप्रकार उपरोक्त कृषि भूमि में आज के दिन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 संयुक्त रूप उक्त भूमि पर स्वामित्व है व प्रत्येक पांचों हिस्सोदारों का उपरोक्त कृषि भूमि 0.0695 है0 में 1/5–1/5 हिस्सा निश्चित है जिसके व अधिकारी है। वादी की वर्तमान में किला नं0 7 ता 10 कुल 4.00 बीघा में फसल काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण का मुरब्बा नं0 121/2 का किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता है जहा पक्की रोड़ गुजरती है उक्त रोड़ खाजूवाला से बेरियावाली के लिए जाती है इसी रोड़ पर वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि स्थित है। इसी पक्की रोड़ के चिपते ही वादीगण की कृषि भूमि है। वादी उपरोक्त वादगत कृषि भूमि में अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी का बाई म्यूटस एण्ड बाउन्डस खाता विभाजन करवाना चाहता है जिससे वादी को न्याय मिल सके।

अतः वादगत भूमि चक 1 बीआरडब्ल्युएम का मु0नं0 121/22 का किला नं0 1 ता 20 सालम कमाण्ड प्रत्येक में 0.2529 है0, 21 ता 25 प्रत्ये कमे 0.2023 है0 कमाण्ड इसप्रकार कुल 25 किला में 6.0695 है0 कमाण्ड का बाई मिटस एण्ड बाई बाउन्डस खाता विभाजन कर प्रत्येक हिस्सेदार का 1/5–1/5 हिस्से का लगान अलग–अलग करने के आदेश फरमाने व प्रत्येक खातेदार का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अलग–अलग इन्द्राज करने के आदेश प्रतिवादी सं0 5 को किया जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस/समन तलबी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं0 1, 2 गैरहाजिर रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3,4 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि चक 1 बीआरडब्ल्युएम का मु0नं0 121/22 का किला नं0 1 ता 20 सालम कमाण्ड प्रत्येक में 0.2529 है0, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2023 है0 कमाण्ड इसप्रकार कुल 25 किला में 6.0695 है0 कमाण्ड कृषि का बाई मिटस एण्ड बाई बाउन्डस'' उत्तर से दक्षिण दिशा की लाईन वाईज पक्की रोड़ तक खाता विभाजन कर प्रत्येक हिस्सेदार का 1/5–1/5 हिस्से का लगान अलग–अलग करने पर प्रतिवादी सं0 3 व 4 को किसी भी प्रकार क उज्र व एतराज नहीं होगा। हल्का पटवारी व मौका की जांच कर पक्की रोड़ जो किला नं0 21 ता 25 से होकर गुजरती है व हम सभी हिस्सेदारान को पक्की सड़क तक सभी को अलग–अलग कृषि भूमि का बंटवारा कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की जाती है तो सभी को आवागमन में सुविधा होगी व वादी व प्रतिवादीगण को अच्छी में अच्छी भूमि मिल जाएगी व खराब में खराब भूमि मिल जाएगी। प्रतिवादी 3, 4 ने जवाब के आधार पर खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

तहसीलदार खाजूवाला की प्रस्ताव/रिपोर्ट मय मौका फर्द नजरी नक्शा प्राप्त हुई जिसके अनुसार मु0नं0 121/22 के किला नं0 3,8,13,18,23 की 1.2139 है0 कमाण्ड अब्दुल गफार पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तथा मु0नं0 121/22 किला नं0 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25 की 4.8556 है0 यूनसअली, अमीनखां, अलाबक्स, युसफ पुत्र अतुखां जाति मुसलमान निवासी रसूलसर तहः पूगल के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। बहस सुनी गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों की पुष्टि तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट दिनांक 31.03.23 से हो रही है। मुरब्बे के किला की पांचों लाईन में नक्शे अनुसार सड़क लगती है और वादगत भूमि पूरी कमाण्ड है। इसलिए बाई मिटस एण्ड बाई बाउन्डस अनुसार सड़क पर लगती 1–1 लाईन का बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है इसलिए तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद वादपत्र के कथनों व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 121/22 के किला नं0 3,8,13,18,23 अब्दुल गफार, किला नं0 1,10,11,20,21 यूनसअली, किला नं0 2,9,12,19,22 अमीनखां, किला नं0 4,7,14,17,24 अलाबक्श, किला नं0 5,6,15,16,25 युसफ के प्रत्येक के 1.2139 है0 कमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)